समाहरणालय – धनबाद
(जिला भू–अर्जन शाखा)

अधिसूचना संख्या– 283 /भू–अर्जन, धनबाद , दिनांक 8 अप्रेल 2017

समाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अधिसूचना

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–4 के प्रावधानों के तहत स्टील अथॉरिटी ऑफ अंडिया लिमिटेड के टासरा परियोजना हेतु धनबाद जिला अन्तर्गत मौजा – आसनबनी (अंचल बलियापुर) में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–. 282 / दिनांक 8/4/17 के द्वारा मेसर्स Social Action for Rural Development (SARDA) छोटकी मुराम, रामगढ कैंट, रामगढ़–829122 email Id: sardagroup01@yahoo.com Mob. No. 9431146893 को एस0आई0ए0 दल के रूप में नियुक्त किया गया है ।

अतः स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधियाचना के आलोक में टासरा ओपन कास्ट परियोजना के विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु धनबाद जिला अन्तर्गत बलियापुर अंचल के मौजा – आसनबनी (थाना संख्या–192) में कुल रक्बा –44.91 एकड़ भूमि का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने हेतु अधिसूचना निर्गत की जाती है ।

1– **परियोजना का नाम :–** टासरा ओपन कास्ट परियोजना के विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु ।

2– **भूमि का विवरण :–**

जिला	अंचल	मौजा	कुल प्लांटों की संख्या	कुल रक्बा (एकड़ में)
धनबाद	बलियापुर	आसनबनी (थाना सं0 192)	210	44.91

3– **एस0आई0ए0 के प्रमुख उद्देश्य और मुख्य कियाकलाप निम्न प्रकार होगी :–**

समाजिक प्रभाव का मूल्यांकन (एस0आई0ए0) दल को झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली 2015 के अध्याय–III के नियम–10 के अन्तर्गत दिये गये सभी दायित्वों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी होगी । मुख्य रूप से निम्न कार्रवाई अपेक्षित है ।

(क) प्रस्तावित परियोजना, जिसमें अर्जित की जानेवाली भूमि तथा क्षेत्र जो पर्यावरण, सामाजिक अथवा परियोजना के अन्य प्रभावों से प्रभावित होगी ,

(ख) परियोजना के लिए अर्जित की जानेवाली प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र और अवस्थिति,

(ग) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि अपेक्षित का केवल न्यूनतम है,

(घ) परियोजना के लिए संभावित वैकल्पिक स्थल और उसकी साध्यता,

(ड़) क्या अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि सिंचित बहु–फसली भूमि है, और यदि ऐसी है तो क्या अर्जन प्रदर्शनीय अंतिम अभिगम है,

(च) भूमि, यदि कोई हो, जो पहले से खरीदी गई, अन्य संक्रांत, पट्टाकृत अथवा अर्जित हो और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के हरेक प्लॉट के लिए उपयोग नियत हो,

(छ) परियोजना के लिए किसी सार्वजनिक अनुपयोगी भूमि के उपयोग की संभावना है ।

(ज) भूमि की प्रकृति, भूमि का वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण और यदि यह कृषि भूमि है तो उक्त भूमि के लिए सिंचाई का आच्छादन तथा फसलों का पैटर्न,

(झ) प्रस्तावित भूमि अर्जन में खाद्य सूरक्षा पालन करने की बावत विशेष उपबंध,

(त्र) घृतियों का आकर, स्वामित्व पैटर्न, भूमि–वितरण, आवासीय घरों की संख्या निजी एवं सार्वजनिक आधारभूत संरचना तथा परिसंपतियों,

(ट) भूमि का मूल्य और स्वामित्व में नया परिवर्तन, अंतरण तथा पिछले तीन वर्षो में भूमि का उपयोग ।

इसी प्रक्रिया के साथ–साथ रैयतों के भू–अर्जन के प्रस्ताव व विमर्श की कार्रवाई की जानी है ।

4– <u>एस0आई0ए0 के लिए टाईमलाईन निम्न प्रकार होगी :–</u>

(क) अर्जनाधीन क्षेत्र का दौरा एवं रैयतों से सम्पर्क स्थापित करना ।

(ख) परियोजना से प्रभावित एवं विस्थापित होने वाली परिवारों को सूचीबद्व करना ।

(ग) समाजिक प्रभाव का मूल्यांकन (एस0आई0ए0) प्रतिवेदन एवं एस0आई0एम0पी0 पर रैयतों की सुनवाई ।

(घ) एस0आई0ए0 एवं एस0आई0एम0पी0 प्रतिवेदन समर्पित करना ।

(ड़) एस0आई0ए0 से संबंधित अंतिम प्रतिवेदन ।

कंडिका–4 (क) से (ड़) पर अंकित कार्यो का निष्पादन कार्यादेश प्राप्ति से 15 दिनों के अन्दर सुंनिश्चित करेंगें ।

उपरोक्त टाईम लाईन अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से गणना की जायेगी ।

5– इस अवधि के दौरान प्रपीड़न अथवा भय उत्पन्न करने की कोई कोशिश हुई है तो यह इसे अकृत और शून्य कर देगा ।

उपायुक्त, धनबाद